फैक्स/ईमेल

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

सैक्टर 18, वृन्दावन योजना, पोस्टकल्ली पश्चिम -, फोन2050242 0522 -, फ़ैक्स 2209519 0522 -
मोहनलाल गंज, लखनऊ, पिन कोड -227 305 ई मेल -dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या-डीटी -दो- 300-2016/27 50) दिनांक लखनऊ :फरवरी, 18 2016

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद
लखनऊ/कानपुर नगर/वाराणसी/ इलाहाबाद/ आगरा/ गाजियाबाद/
गौतमबुद्ध नगर/मेरठ/मुरादाबाद/अलीगढ़/बरेली/गोरखपुर।

विषय:- **मुख्य आरक्षी यातायात व आरक्षी यातायात के पदों को भरे जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने करें, जिसके द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नवीन आदेश पारित किए गये हैं तथा यातायात पुलिस में पूर्व से स्वीकृत पदों में वृद्धि की गयी है।

2- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 08-02-2016 द्वारा प्रथम चरण में **''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली''** हेतु चिन्हित 12 जनपदों में **मुख्य आरक्षी यातायात के कुल 232** पद व **आरक्षी यातायात के कुल 1059 पदों** की वृद्धि की गयी है। इन 12 जनपदों में की गयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

3- मुख्य आरक्षी यातायात के उक्त बढाये गये पदों को नागरिक नागरिक पुलिस से भरा जायेगा।

4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र दिनांक14-12-2015 के प्रस्तर **यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी की चयन प्रक्रिया** के उपप्रस्तर 1- अर्हता के अन्तर्गत यातायात मुख्य आरक्षी का चयन नागरिक पुलिस के आरक्षी/मुख्य आरक्षी से निम्न प्रकार किया जायेगा:-

(1) यातायात मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस जो 45 वर्ष से कम आयु के हों।
(2) यातायात आरक्षी हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस जो 35 वर्ष से कम आयु के हों एवं जिन्होंने आरक्षी के पद पर कम से कम 05 साल की सेवा पूरी की हो।
(3) उनकी विगत 05 वर्षो में सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।
(4) विगत 05 वर्षो में उन्हे कोई लघु दण्ड अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो।
(5) विगत 05 वर्षो में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
(6) विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप-पत्र न दिया गया हो।

5- पत्र दिनांक 14-12-2015 के प्रस्तर **यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी की चयन प्रक्रिया** के उपप्रस्तर (2) **चयन प्रक्रिया** के अनुसार प्रत्येक जनपद में उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले कर्मियों के नामांकन मांगे जायेंगे। उपरोक्त सभी नामांकनों में से कर्मियों की ज्येष्ठता के आधार पर एक सूची बनाई जायेगी एवं उनके सेवाभिलेखों के

आधार पर उपरोक्त अर्हताएं न रखने वाले कर्मियों को इस सूची में से निकाल दिया जाएगा। शेष बचे कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के क्रम के आधार पर जनपद में यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के रिक्त पदों के सापेक्ष अलग-अलग चयन सूची बनाई जागेगी। उपरोक्त यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में चयनित किए गए पुलिस कर्मियों की सूची को प्रशिक्षण कराए जाने हेतु यातायात निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

5- उपरोक्त चयनित सभी मुख्य आरक्षियों/आरक्षियों को यातायात निदेशालय, यातायात प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। केवल प्रशिक्षण में सफल पाए गए पुलिस कर्मियों को उनके नियुक्ति के जनपद में संबन्धित जनपद पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी/आरक्षी के पद पर तैनात किया जायेगा।

6- अनुरोध है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार यातायात मुख्य आरक्षी/आरक्षी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष मुख्य आरक्षी/आरक्षी नागरिक पुलिस से चयन कर चयनित कर्मियों की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर यातायात निदेशालय को **दिनांक 28-02-2015 तक** संलग्न प्रारूप 'अ' व 'ब' में फैक्स/ईमेल के माध्यम से (**Soft Copy in MS Excel, Font-Kruti Dev 010** में **E-mail Id- Karmikdt-up@gov.in**) उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि उनके यातायात प्रशिक्षण के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18/2/16

(अनिल अग्रवाल)

अपर पुलिस महानिदेशक/ निदेशक यातायात

उ0प्र0लखनऊ।

1- **प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याही हेतु-**

(1) पुलिस महानिरीक्षक जोन- लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/इलाहाबाद/आगरा/मेरठ/बरेली/ गोरखपुर।

(2) पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र- लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/इलाहाबाद/आगरा/मेरठ/मुरादाबाद/ अलीगढ/बरेली/ गोरखपुर।

2- प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना) उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 व दिनांक 8-2-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

Appendix -1

Increasing Allocation of Traffic Police : ITMS Distritcs

S.No.	District	Area	Circles	TI			TSI			HC			CONS.			Total		
				For Area	For CTMC	Total	For Area	For CTMC	Total	For Area	For CTMC	Total	For Area	For CTMC	Total	For Area	For CTMC	Total
1	Lucknow	3	11	3	1	4	11	2	13	33	4	37	165	12	177	212	19	231
2	Kanpur nagar	2	10	2	1	3	10	2	12	30	4	34	150	12	162	192	19	211
3	Varanasi	1	5	1	1	2	5	2	7	15	4	19	75	12	87	96	19	115
4	Allahabad	1	5	1	1	2	5	2	7	15	4	19	75	12	87	96	19	115
5	Agra	1	6	1	1	2	6	2	8	18	4	22	90	12	102	115	19	134
6	Gaziabad	1	4	1	1	2	4	2	6	12	4	16	60	12	72	77	19	96
7	Gautambuddh Nagar	1	3	1	1	2	3	2	5	9	4	13	45	12	57	58	19	77
8	Meerut	1	5	1	1	2	5	2	7	15	3	18	75	6	81	96	12	108
9	Moradabad	1	4	1	1	2	4	2	6	12	3	15	60	6	66	77	12	89
10	Aligarh	1	3	1	1	2	3	2	5	9	3	12	45	6	51	58	12	70
11	Barailly	1	4	1	1	2	4	2	6	12	3	15	60	6	66	77	12	89
12	Gorakhpur	1	3	1	1	2	3	2	5	9	3	12	45	6	51	58	12	70
	Total	15	63	15	12	**27**	63	24	**87**	189	43	**232**	945	114	**1,059**	1,212	193	**1,405**

CTMC: City Traffic Management Centre
CTMC will include TEC (Traffic Enforcement Centre)

Scale:

AREA	CTMC
1 TI for each Area	1 TI for each CTMC
1 TSI for each Circle	2 TSI (1 for CTMC, 1 for TEC)
3 HC for each TSI in	2 HC for each TSI in KAVAL+NCR- Total 4; Total 3 in other districts
5 C for each HC in field	3 C for each HC in AVAL+NCR-Total 12; 2 C for each HC in Other-

प्रारूपः—अ

मुख्य आरक्षी यातायात हेतु चयनित कर्मियों का विवरण

क0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पीएनओ	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची का कमांक	निवास का जनपद	नियुक्ति जनपद	जन्म तिथि	दिनांक 1—7—2016 को कुल आयु			दो पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो वैध लाइसैन्स संख्या	चार पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो वैध लाइसैन्स संख्या
							वर्ष	माह	दिन		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10

प्रारूपः—ब

आरक्षी यातायात हेतु चयनित कर्मियों का विवरण

क0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पीएनओ	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची का कमांक	निवास का जनपद	नियुक्ति जनपद	जन्म तिथि	दिनांक 1—7—2016 को कुल आयु			आरक्षी ना0पु0 के पद पर नियुक्ति की तिथि	दिनांक 1—7—2016 को आरक्षी, ना0पु0 के पद पर कुल सेवा			दो पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो वैध लाइसैन्स संख्या	चार पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो वैध लाइसैन्स संख्या
							वर्ष	माह	दिन		वर्ष	माह	दिन		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10			11	12

फैक्स/आवश्यक/प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-चार-103(29)2014 दिनाँक: लखनऊ: दिसम्बर 14 2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागीय आदेश जारी किए गए है । उक्त आदेशों में एकरूपता नहीं होने के कारण समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की जाती रहीं हैं एवं विभाग में संशय की स्थिति बनीं रहती है । अत: उन सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यातायात कर्मियों के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये जाते है :-

वर्तमान में यातायात पुलिस का निर्धारित नियतन निम्नवत है :-

- यातायात निरीक्षक-09
- यातायात उपनिरीक्षक-90
- मुख्य आरक्षी यातायात-501
- आरक्षी यातायात-3056 (कुल 3656)

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विकसित होने एवं वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत यह नियतन काफी कम है एवं उक्त नियतन से यातायात पुलिस का उचित ढंग से संचालन करने में कठिनाई हो रही है । इस संबंध में यातायात निदेशालय के पूर्व में प्रेषित किए गए यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि किए जाने के प्रस्तावों के दृष्टिगत यातायात पुलिस में निम्न अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी:-

- यातायात निरीक्षक-86
- यातायात उपनिरीक्षक-1069
- मुख्य आरक्षी यातायात-3431
- आरक्षी यातायात-8595 (कुल 13181)

उपरोक्त सभी कर्मी पुलिस विभाग के नागरिक पुलिस के कुल नियतन में से तैनात किए जाएंगे एवं यह समस्त कर्मी नागरिक पुलिस के विभिन्न पदों पर पुलिस बल की कुल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए तैनात किए जाएंगे । इस संबंध में यातायात निदेशालय वर्तमान में पुलिस बल की उपलब्धता के सापेक्ष विभिन्न जनपदों का कार्यकारी नियतन प्रस्तावित कर

इस मुख्यालय को प्रेषित करेगा जिसे तद्नुसार अनुमोदित कर सभी संबंधित को प्रेषित किया जाएगा । जैसे-जैसे पुलिस बल में भर्तियों के उपरान्त पदों में संख्या वृद्धि होगी, तद्नुसार इस नियतन को भी संशोधित किया जायेगा ।

यातायात पुलिस में भविष्य में निरीक्षक यातायात, उपनिरीक्षक यातायात, मुख्य आरक्षी यातायात तथा आरक्षी यातायात के पदों पर चयन, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी की चयन प्रक्रिया

यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी का चयन नागरिक पुलिस के आरक्षी/मुख्य आरक्षी से निम्न प्रकार किया जाएगा:-

1-अर्हता

1- यातायात मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस जो 45 वर्ष से कम आयु के हों।
2- यातायात आरक्षी हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस जो 35 वर्ष से कम आयु के हों एवं जिन्होंने आरक्षी के पद पर कम से कम 05 साल की सेवा पूरी की हो।
3- उनकी विगत 05 वर्षो में सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।
4- विगत 05 वर्षो में उन्हें कोई लघु अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो ।
5- विगत 05 वर्षो में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
6- विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप-पत्र न दिया गया हो।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद के पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस की डियूटी के अनुरूप शारीरिक रूप से सक्षम न होने के कारण अथवा कोई ऐसा अन्य कारण जिससे उनका मत हो कि उक्त कर्मी यातायात पुलिस की डियूटी हेतु उपयुक्त नहीं है, तो वह इस संबंध में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपने स्तर से निर्णय ले सकते है एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा ।

2- चयन प्रक्रिया

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक वर्ष प्रथम तिमाही में यातायात निदेशालय मुख्य आरक्षी यातायात एवं आरक्षी यातायात के रिक्त पदों/भविष्य में उस वर्ष रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु विभागीय निर्देश जारी करेगा । तद्नुसार सभी जनपदों में उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले कर्मियों के नामांकन मांगे जाएंगे । उपरोक्त सभी नामांकनों में से कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के आधार पर एक सूची बनाई जाएगी एवं उनके सेवाभिलेखों के आधार पर उपरोक्त अर्हताएं न रखने वाले कर्मियों को इस सूची में से निकाल दिया जाएगा । शेष बच हुए कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के क्रम के आधार पर जनपद में यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के रिक्त पदों के सापेक्ष अलग-अलग चयन सूची बनायी जायेगी । उपरोक्त

यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में चयनित किए गए पुलिस कर्मियों की सूची को प्रशिक्षण कराए जाने हेतु यातायात निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा ।

3- प्रशिक्षण

उपरोक्त चयनित सभी मुख्य आरक्षियों/आरक्षियों को यातायात निदेशालय, यातायात प्रशिक्षण हेतु भेजेगा । केवल प्रशिक्षण में सफल पाए गए पुलिस कर्मियों को उसके नियुक्ति के जनपद में संबन्धित जनपद पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी/आरक्षी के पद पर तैनात किया जाएगा ।

यातायात उपनिरीक्षक/निरीक्षक की चयन प्रकिया

यातायात उपनिरीक्षक/यातायात निरीक्षक के पदों को भरने की प्रकिया एवं अर्हताएं निम्न प्रकार होंगी:-

1-अर्हता

1- यातायात निरीक्षक हेतु ऐसे निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पी०ए०सी० के कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस जो 50 वर्ष से कम आयु के हों।

2- यातायात उपनिरीक्षक हेतु ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पीएसी के प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस जो 40 वर्ष से कम आयु के हों एवं जिन्होंने उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पद पर कम से कम 07 साल की सेवा पूरी की हो।

3- उनकी विगत 05 वर्षों में सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो ।

4- विगत 5 वर्षों में उन्हें कोई लघु अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो ।

5- विगत 05 वर्षों में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

6- विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप-पत्र न दिया गया हो।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक अथवा इकाई के पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी अपने स्तर से किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस की डियूटी के अनुरूप शारीरिक रूप से सक्षम न होने के कारण अथवा कोई ऐसा अन्य कारण जिससे उनका मत हो कि उक्त कर्मी यातायात पुलिस की डियूटी हेतु उपयुक्त नही है, तो वह इस संबंध में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपने स्तर से निर्णय ले सकते है एवं इस संबंध में संबंधित अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

चयन प्रकिया

वर्तमान में यातायात उपनिरीक्षक पद पर स्वीकृत नियतन 90 है जो पूर्व की भांति पी०ए०सी० से भरे जाएंगे । इसके अतिरिक्त इस पत्र में अंकित किए गए 1069 यातायात उपनिरीक्षक के पद, नागरिक पुलिस से उपलब्धता के आधार पर भरे जाएंगे । इसी प्रकार

वर्तमान में यातायात निरीक्षक के 09 पद स्वीकृत हैं जो पूर्व की भांति पी0ए0सी0 से भरे जायेंगे। इसके अतिरिक्त इस पत्र में अंकित किए गए 86 यातायात निरीक्षकों के पद नागरिक पुलिस से उपलब्धता के आधार पर भरे जायेंगे । पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त यातायात निदेशालय यातायात उपनिरीक्षकों एवं यातायात निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय निर्देश जारी करेगा एवं नामांकन की प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी :-

(1) पी0ए0सी0 के लिए यातायात उपनिरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के अलग-अलग नामांकन पी0ए0सी0 मुख्यालय स्तर पर एकत्रित किये जायेंगे । इस प्रकार प्राप्त नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस को अलग-अलग सूची तैयार की जायगी । इन सूचियों की समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की जायगी जो इन सभी प्राप्त नामांकनों का उपरोक्त दिए गए अर्हताओं के दृष्टिगत परीक्षण करेगी एवं सही पाये गये नामांकनों की पी0ए0सी0 मुख्यालय द्वारा कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर यातायात निदेशालय को भेजी जायेगी ।

(2) प्रत्येक जनपद द्वारा यातायात उपनिरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक के पदों को भरे जाने हेतु नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन प्राप्त किए जायेंगे । इस प्रकार प्राप्त नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की अलग-अलग सूची तैयार कर जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी । प्रत्येक जोन में इन सूचियों की समीक्षा हेतु अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायगी जो इन सभी प्राप्त नामांकनों का उपरोक्त दिए गए अर्हताओं के दृष्टिगत परीक्षण करेगी एवं सही पाये गये नामांकनों को जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उपनिरीक्षक यातायात एवं निरीक्षक यातायात की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर, यातायात निदेशालय को भेजा जायेगा ।

(3) पुलिस विभाग की विभिन्न इकांईयों में उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन संबंधित इकाईयों के मुख्यालय पर एकत्रित किए जायेंगे एवं इन नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन संकलित कर ज्येष्ठता के आधार पर इनकी अलग-अलग सूची बनाकर यातायात निदेशालय को भेजा जायेगा ।

(4) **पुलिस महानिदेशक द्वारा यातायात निरीक्षक एवं यातायात** उपनिरीक्षक के चयन हेतु एक **समिति का गठन किया जाएगा जो यातायात निदेशालय पर** प्राप्त उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की सूचीयां संकलित कर ज्येष्ठता के आधार पर उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की अलग-अलग सूचीयां तैयार करेगी । इन ज्येष्ठता सूचीयों में से यातायात उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के रिक्त पदों के **सापेक्ष ज्येष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची बनाई जायेगी । चयन सूची रिक्त पदो की संख्या से अधिक नहीं होगी । यह चयन सूचीयां पी0ए0सी एवं नागरिक पुलिस के लिए इनकी उक्त पदों पर रिक्तियों के सापेक्ष अलग-अलग बनायी जायेगी ।** उपरोक्त चयनित

उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों को यातायात प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा । केवल प्रशिक्षण में सफल पाये गये कर्मियों को पुलिस महानिदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त यातायात उपनिरीक्षक/यातायात निरीक्षक के पद पर तैनात किया जायेगा ।

सामान्य निर्देश

(1) यातायात पुलिस में यातायात निरीक्षक/यातायात उपनिरीक्षक पद पर अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

(2) यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी/आरक्षी के पद पर अधिकतम कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

(3) एक पद पर समयावधि पूर्ण करने पर पुलिस कर्मी यातायात पुलिस में पुनः उस पद पर तैनात नही किये जायेंगे, किन्तु अगर पदोन्नति के उपरान्त उन्हें यातायात पुलिस में उच्च पद पर तैनात किया जाता है तो ऐसे में उनके मुख्य आरक्षी के पद पर अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष का होगा एवं यातायात निरीक्षक/यातायात उपनिरीक्षक के पद पर अधिकतम कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

(4) किसी भी पुलिस कर्मी को समयावधि पूर्ण होने के पूर्व प्रशासनिक कारणों से किसी भी समय यातायात पुलिस में किसी दूसरे जनपद अथवा उसके लियन के संवर्ग में वापस स्थानान्तरण किया जा सकता है । अगर किसी यातायात पुलिस कर्मी के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते है तो उसे भविष्य में यातायात पुलिस में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(5) यातायात पुलिस कर्मियों की किसी भी जनपद, परिक्षेत्र अथवा जोन में अधिकतम तैनाती की अवधि तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार होगी ।

(6) यातायात पुलिस निरीक्षक की तैनाती एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पूर्व की भांति मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर किये जायेंगे ।

(7) यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक की तैनाती एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण यातायात मुख्यालय स्तर पर किये जायेंगे ।

(8) यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी की तैनाती जनपद के पुलिस अधीक्षक स्तर पर की जायेगी, किन्तु इन पदों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण यातायात मुख्यालय स्तर पर किये जायेंगे ।

(9) यातायात पुलिस में तैनाती अवधि पूर्ण करने अथवा किसी उच्च पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी पुलिस कर्मी को सम्बन्धित स्तर के स्थापना बोर्ड द्वारा उस उसके लियन के सवंर्ग में वापस स्थानान्तरण किया जायेगा ।

(10) **किसी भी कर्मी के यातायात पुलिस में तैनाती के दौरान उसका अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण उसकी उस जनपद में समय अवधि पूर्ण करने पर अथवा उसके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है, किन्तु यह**

सभी स्थानान्तरण सम्बन्धित स्थापना बोर्ड द्वारा किसी जनपद के यातायात पुलिस के नियतन एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही किये जायेंगे।

(11) यातायात पुलिस के किसी भी मुख्य आरक्षी अथवा आरक्षी को अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से यातायात पुलिस से हटाया जाना आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में यातायात निदेशालय के अनुमोदनोपरान्त ही सम्बन्धित जनपद स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी । यातायात उपनिरीक्षक के सम्बन्ध में यह कार्यवाही यातायात मुख्यालय द्वारा एवं यातायात निरीक्षक के सम्बन्ध में यह कार्यवाही मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर की जायगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन चयन, अहर्ता, प्रशिक्षण, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में निर्गत किये जा रहे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन/परिशीलन कर भविष्य में तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

14/12/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

1/ CTFAX ZONE/RLYHQ/PKCHQ/TRGHQ.
कृपया अपने समस्त को तत्काल
FAX करें DGPUP